न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 224/2021 तारीख रजू:– 13.05.2021

मिसल आई.डी. नं. 2021/136

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S

1. मोहनसिंह पुत्र परसादी जाति जाट निवासी विजयपुरा तह0 सूरौठ–मृतक

1/1. रणजीत पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

1/2. सुभाष पुत्र मोहनसिंह पत्नि सुरेन्द्र जाति जाट निवासी विजयपुरा हाल ग्राम पौंछरी जिला करौली

1/3. पिंकी पुत्री मोहनसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

1/4. फूलवती बेबा मोहनसिंह जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

2. दिलीपसिंह पुत्र परसादी जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

3. रामवीर पुत्र परसादी जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1. गोविन्दसिंह पुत्र फैली
2. सतवीर पुत्र गोविन्दसिंह
3. मुरारी पुत्र गोविन्दसिंह

जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायलान

2. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :–24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर–332/5 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म नहरी ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का विजयपुरा, तहसील–सूरौठ, जिला करौली (राज०) में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी वर्णित मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र साबिक में गैरसायल नम्बर–1 गोविन्दसिंह की खातेदारी की रही है कि जिसके 0.05 हैक्टेयर रकबा पश्चिम तरफ के भाग को कि जिसमें छः गैह दुपल्ला पाटौर डली हुई थी को सायलान ने गैरसायल नम्बर–1 गोविन्दसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक–20.05.2002 को बिल एवज 91,000/–रू0 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। सीमा का अंकन विक्रय–पत्र के पेज नम्बर–3 की दूसरी व तीसरी लाईन में व विक्रय–पत्र के सार में स्पष्ट रूप से दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार परभूमि खसरा नम्बर–332/5 रकबा 0.05 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक सायलान के नाम 5/21, 5/21, 5/21 हिस्सा दर्ज हुई, जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–2073 से स्पष्ट है। संलग्न नक्शा प्रार्थना–पत्र में सायलान की खातेदारी के हिस्से को बरंग लाल से व गैरसायल नम्बर–1 गोविन्दसिंह के हिस्सा को बरंग नीला से प्रदर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा प्रार्थना–पत्र, प्रार्थना–पत्र का ही एक भाग है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि सायलान सगे भाई है कि जिनके मध्य आराजी खसरा नम्बर–332/5 व अन्य आराजीयात / भूमियों का कई वर्षों पूर्व बहामी बंटवारा हो गया है। भूमि खसरा नम्बर–332/5 का

सम्पूर्ण भाग सायल नम्बर–1 मोहनसिंह के हिस्सा व कब्जा में आया है कि जिसमें सायल मोहनसिंह ने रिहायश एवम् कृषि औजार पैदावार व चारा फूस रखने हेतू मकानियत बना रखी है, लैट्रिन, बाथरूम बना रखे हैं तथा कई वर्षों पूर्व पानी हेतू बनाई गई कुईया के सूखे जाने पर 2500/–रू0 की लागत लगाकर उसे भरवा दिया गया है। भूमि खसरा नम्बर–332/5 के रकवा में ही सायल मोहनसिंह पशुओं के लिए चारा उगाता है, सब्जी बोकर तैयार कर विक्रय का कार्य करता चला आ रहा है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि गैरसायलान अत्यन्त चतुर, चालाक व बेईमान किस्म के झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। गैरसायल नम्बर–2 सतवीर सैनिक है व गैरसायल नम्बर–3 पेशे से अध्यापक है कि जो धनबल व राजनैतिक पहुँच के आधार पर येन–केन–प्रकारेन सायलान को तंग व परेशान कर सायलान की भूमि खसरा नम्बर–332/5 के ग्राम रीझवास को जाने वाले रोड के सहारे सायल मोहनसिंह मोहन सिंह की बाथरूम, लैट्रिन के सटेवां सायलान द्वारा सूखी हुई कुईया को भरवाये गये स्थान पर 15X20 फीट नाप की भूमि पर बिना किसी अधिकार व औचित्य के नाजायज कब्जा करना चाह रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक–10.05.2021 के सुबह करीब 8–9 बजे का है कि गैरसायलान ने सायलान की भूमि पर आकर सायलान से विवाद किया, ट्रोली में लाये भरकर पत्थरों को पटकने व दुकान निर्माण हेतू नींव खोदनें का प्रयास किया एवम् झगडा फिसाद करने को उतारू हो गये जिस पर सायल मोहनसिंह ने पुलिस थाना सूरौठ व श्रीमान्जी के समक्ष भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण नहीं करने व आमशान्ति बनाये रखने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु सायलान की कोई सुनवाई व मदद नहीं होने से गैरसायलान के हौसले और भी बुलन्द हो गये है। गैरसायलान ने सायलान को यह ऐलानिया धमकी भी दी है कि तुम, तुम्हारी इस जमीन को भूल जाओं अब इस जमीन पर हम अपना अवैध कब्जा कर पुख्ता दुकान का निर्माण करेगे। अगर तुमने कही कोई कार्यवाही की तो तुम्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पडेगा। सायलान ने गैरसायलान को हाथ जोडकर काफी समझाया एवम् अन्य गणमान्य

व्यक्तियों से भी समझवाया, परन्तु गैरसायलान मानने को तैयार नहीं है एवम् अपनी हठधर्मी पर आमादा है। यदि गैरसायलान अपने उक्त मनसूबे / बेजा हरकतों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति पहुँचेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थीय निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यकीय हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावें कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 332/5 के सायलान के खरीदशुदा पश्चिमी भाग कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर संलग्न नक्शा प्रार्थना–पत्र में बरंग लाल के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयम् उत्पन्न करें और नाही किसी अन्य से करावें, गैरसायलान भूमि संलग्न नक्शा प्रार्थना–पत्र बरंग लाल पर से सायलान को बेदखल कर नाजायज तौर पर कब्जा नहीं करें और नाही कोई निर्माण कार्य करें और नाही अन्तरण की किसी भी रिति से भूमि को अन्तरित करें, गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे उक्त भूमि के संबंध में सायलान को प्राप्त उनके विधिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ें। गैरसायलान विर्वादित भूमि के रिकॉर्ड व मौके की स्थिती यथावत बनाएँ रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.06.2021 को गैरसायलान की ओर से श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। गैरसायलान को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव

प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 17.10.2024 को गैरसायलान का जबाव प्रार्थना पत्र बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, फोटो प्रति अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2002 उनवानी गोविन्दसिंह पुत्र फैली जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक मोहनसिंह दिलीपसिंह रामबीर पिसरान परसादी जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन बहिस्सा बराबर क्रेतागण द्वितीय पक्ष पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की आराजीयात है। कानूनन सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जा सकता है। चूंकि उक्त प्रकरण में गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 332/5 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी गोविन्दसिंह पुत्र फैली हि0 2/7, दिलीपसिंह पुत्र परसादी हि0 5/21, मोहनसिंह पुत्र परसादी हि0 5/21, रामवीर पुत्र परसादी हि0 5/21, जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2002 उनवानी गोविन्दसिंह पुत्र फैली जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक मोहनसिंह, दिलीपसिंह, रामबीर पिसरान परसादी जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन – बहिस्सा बराबर क्रेतागण द्वितीय पक्ष में विवादित आराजी खसरा नम्बर 332/5 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील हिण्डौन में से रकबा 0.05 है0 भूमि का बेचान किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 332/5 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ के सायलान एवं गैरसायल सं01 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं02 व 3 के पिता गैरसायल सं01 है। इस प्रकार गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में सायलान हि0 5/7 एवं गैरसायल सं0 2 व 3 के पिता गोविन्दसिंह तथा गैरसायल सं01 गोविन्दसिंह हिस्सा 2/7 भाग के मुताविक जमाबन्दी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। कानूनन सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। चूंकि उक्त प्रकरण में गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी साबित नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही सायलान के पक्ष में साबित है। बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो इससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 332/5 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 13.05.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली